प्रेस विज्ञप्ति

8/8/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 06.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत पंचकूला स्थित पीएमएलए की माननीय विशेष अदालत के समक्ष हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) (पूर्व में हुडा के नाम से जाना जाता था) के पूर्व अधिकारियों सुनील कुमार बंसल, राम निवास और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ एचएसवीपी के बैंक खातों में सरकारी धन के गबन के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। 2019-2024 की अवधि के दौरान, राम निवास हरियाणा से विधायक भी थे।

ईडी ने पुलिस स्टेशन सेक्टर-7, पंचकूला (हरियाणा पुलिस) द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर एचएसवीपी के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। इस शिकायत के माध्यम से, एचएसवीपी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), चंडीगढ़ में एचएसवीपी के एक बैंक खाते के माध्यम से धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान हुआ है। एफआईआर के अनुसार, 2015 से 2019 की अवधि के दौरान, एचएसवीपी के उक्त बैंक खाते से बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ विशेष पार्टियों के पक्ष में 70 करोड़ रुपये (लगभग) के डेबिट लेनदेन बार-बार जारी किए गए, जिससे एचएसवीपी को 70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एचएसवीपी की आंतरिक जाँच के दौरान, एचएसवीपी को पता चला कि एचएसवीपी की कैश ब्रांच या आईटी विंग में ऐसा कोई बैंक खाता नहीं था, जिसका अर्थ है कि सुनील कुमार बंसल और राम निवास ने एचएसवीपी के साथ गुप्त रूप से धोखाधड़ी की थी। पीएमएलए के तहत आगे की जाँच में एचएसवीपी से जुड़े 10 अतिरिक्त बैंक खातों का पता चला, जहाँ इसी तरह के धोखाधड़ी वाले लेन-देन उसी कार्यप्रणाली का उपयोग करके किए गए थे। इस प्रकार, ईडी ने कुल 225.51 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के गबन का पता लगाया, जो अब इस मामले में अपराध की आय है।

जाँच के दौरान, ईडी ने 09.06.2025 को सुनील कुमार बंसल और राम निवास को गिरफ्तार किया था। वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी पहले ही चार प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी करके 27.30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है।

आगे की जाँच जारी है।